Diversion of Central funds by States

2603. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has waried the Chief Minister that their annual allocations would be drastically out if they were found misusing the funds given for completing Centrally funded projects in their States;

(b) if so, whether the Planning Commission had noticed in the past that many State Governments had diverted their funds from Centrally-funded projects; and

(c) if so, the names of the States held responsible in this regard and the action proposed to be taken against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) to (c) The Normal Plan Assistance by Central Government for State Plans is formula based and is given in the form of Block Loans/Grants and is not linked to any specific projects. Only Special Category States are permitted to use upto 20 percent of normal plan assistance for meeting normal plan assistance for meeting their non-plan gap Special central assistance is also being provided to the States for basic minimum services (BMS) and Area Development Programmes but these also generally not linked to any particular project Central assistance is also being provided for Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) which is project based and linked to matching share by State Governments. The implementation of AIBP including sanctioning the irrigation projects, release of funds etc. is being carried out by the concerned administrative Ministry

Ceneral Assistance is also provided for Central Sponsored Schemes (CSS) which is linked to State's contribution unless it is 100% Centrally Sponsored Scheme and is released by various Central Ministries/Departments depending on their implementation. The expenditure on these projects/schemes are monitored by the concerned ministries and not by the Planning Commission.

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान करना

2604. श्री गोविन्दराम गिरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन राज्यों को, जहां संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के परिप्रेक्ष्य में आयोजना के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई तथा त्रिस्तरीय जिला पंचायतों एवं नगरीय निकायों का गठन किया जा चुका है और ऐसी संस्थाओं ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, सुदृढ़ आधार प्रदान करने हेतु विकास कार्य के लिए गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला के आधार पर केन्द्रीय सहायता देने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर) : (क) और (ख) जी, नहीं; प्रश्न नहीं उठता ।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत हरदोना में कार्यान्वित की गई परियोजनाएं

2605. श्री रामजीलाल वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के स्थापना वर्ष से लेकर 31 मार्च, 1997 तक हरदोना (बिहार) के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा इस योजना के अन्तर्गत वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ख) आज तक कितनी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नामाला देहरेश्वर सवनूर) : (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 1993-94 से 1996-97 के वर्षों के लिए दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद श्री. अली अशरफ फातमी के लिए 305 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 168.68 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं एवं 313 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं ।

शहरी क्षेत्रों में निर्धन तथा धनी लोगों का मूल्यांकन

2606. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तथा अत्यधिक धनी लोगों के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों वर्गों के लोगों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) शेष वर्गों की वार्षिक आय का प्रक्षेपित आंकलन क्या है ; और

(घ) यदि सरकार द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर) : (क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 1993-94 में प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति के 281.35 रुपये के उपभोग व्यय के वर्ग में, 32.36 प्रतिशत शहरी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी । अत्यधिक धनी लोगों की कोई मानक परिभाषा नहीं है । हालांकि 1993-94 के उपभोक्ता व्यय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 4.9 प्रतिशत लोगों को, 1055 रुपये से अधिक प्रतिमाह के प्रतिमाह प्रति-व्यक्ति व्यय के उच्च व्यय कोष्ठक में वर्गीकृत किया गया है ।

(ख) 1993-94 में, शहरी क्षेत्रों में गरीबी की संख्या के 76.34 मिलियन होने का अनुमान है । शहरी क्षेत्रों में ही, 1055 रुपये से अधिक के प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय करने वाले लोगों की संख्या 11.56 मिलियन है ।

(ग) और (घ) आय पर जानकारी उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1993-94 में शहरी क्षेत्रों में, शेष 62.74 प्रतिशत जनसंख्या का प्रति व्यक्ति उपभोग 492 रुपये प्रतिमाह था ।

विकास हेतु पहचाने गए प्राथमिकता क्षेत्र

2607. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के प्रयोजनार्थ प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की है ;

(ख) यदि हां, तो ये क्षेत्र कौन-कौन से हैं, और

(ग) इन प्राथमिक क्षेत्रों को किस क्रम में अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर) : (क) और (ख) जी, हां । पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने और गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जानी है । मुख्यतः पेयजल बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा आवास और सर्वव्यापी सम्पर्क को बुनियादी न्यूनतम सेवाएं जो कोई योजना होने ध्यान के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं ।